न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/512

पुष्पचन्द आत्मज श्री देवलाल जाति मीणा निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

नाथी बाई बेवा श्री देवीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 01.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में वादग्रस्त आराजी स्थित है । उक्त भूमि वादिनी के व वादिनी के पुत्र के शामलाती खाते में दर्ज है । वादिनी द्वारा उक्त आराजी में रिहायशी मकान व जानवरों को बांधने का बाडा बना रखा है वादिनी की उक्त आराजी के पास ही प्रतिवादी की कयशुदा आराजी स्थित है । प्रतिवादी ने वादिनी की खसरा नम्बर 98 की आराजी लगभग 10 फुट भूमि पर जबरन कब्जा कर नींच खोदना प्रारम्भ कर दिया है । इस प्रकार प्रतिवादी वादिनी की भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करने पर आमादा है ।

3. अतः वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह आराजी खसरा नम्बर 98 रकबा 0.07 हैक्टर आराजी पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य नहीं करे । ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादी स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावे तथा आराजी की पैमाईश करकवाई जाकर वादिनी की जितनी भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा पाया जावे उस पर से प्रतिवादी को बेदखल कर वादिनी को कब्जा प्रदान किया जावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2018 के द्वारा वादिनी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी शामलाती खाते की भूमि है । कानूनन शामलाती खाते की भूमि में सहखातेदार को पक्षकार बनाये बिना स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । खसरा नम्बर 97 एवं 114 की आराजी में से 1/2 हिस्सा राजेश बाई ने अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा संभला दिया जिसका इंतकाल भी अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक किया जा चुका है । रेस्पोडेन्ट उक्त दावे की आड में अपीलान्ट की क्रयशुदा आराजी पर कब्जा करना चाहती है । आराजी खसरा नम्बर 97 एवं 98 लगवा भूमि है जिसमें खसरा नम्बर 97 की 1/2 हिस्सा आराजी का अपीलान्ट रिकॉर्डेड खातेदार कृषक है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं है । कानूनन कब्जे के अभाव में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता । सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है । पक्षकारान के द्वारा लोक अदालत में किसी प्रकार का कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर जानकारी करने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. उक्त अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया था । खसरा नम्बर 98 शामलाती खाते की आराजी है । सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । सहखातेदार राजेशबाई ने अपने 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्ट को बेचान कर कब्जा संभला दिया जिसका इंतकाल भी अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक किया जा चुका है । रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट की क्रयशुदा आराजी पर कब्जा करना चाहती है । खसरा नम्बर 97 एवं 98 लगवा हैं और खसरा नम्बर 97 की 1/2 हिस्से की अपीलान्ट रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं है । कब्जे के अभाव में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । लोक अदालत में निर्णय पारित किया है जबकि पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । आदेशिका पर निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. वादिनी ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया । दावा खसरा नम्बर 98 रकबा 0.07 हैक्टर के लिए पेश किया गया है । पत्रावली कायमी तनकीयात में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया और लोक अदालत में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादिनी डिक्री किया है । लोक अदोलत में पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 98 रकाब 0.07 हैक्टर आराजी अन्य आराजियों के साथ वादिनी के अलावा अन्य सहखातेदारों के खाते में दर्ज है जिनको वादिनी ने पक्षकार नहीं बनाया है जबकि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावे में समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होता है । वादिनी के द्वारा धारा 188 का दावा पेश किया गया है और उसमें दावे की पृष्ठ संख्या 3 में बेदखली की सहायता भी मांगी है और जवाबदावे में प्रतिवादी ने वादिनी के दावे को अस्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में तनकीयात कायम करके ही इस प्रकरण का पक्षकारों की साक्ष्य लेकर निस्तारण किया जा सकता है ।

11. लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्षकार उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2018 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 01.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा